Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IV, Issue VII, July-2012, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

गांधी जी के विचारों की सामयिक प्रासंगिकता

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IV, Issue VII, July-2012, ISSN 2230-7540

गांधी जी के विचारों की सामयिक प्रासंगिकता

Gandhi Ji Ke Vicharon Ki Samayaikta Prasangikta

Krishan Lal

प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्रा विभाग, के.टी. राजकीय महाविद्यालय, रानियां ;पफतेहाबादद्ध हरियाणा

---------------------------♦-----------------------------

जहाँ तक वर्तमान संदर्भ में गांधी जी के विचारों की उपयोगिता का प्रश्न है, उन्हें वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वीकरण एवं शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित होगा, क्योंकि यह भारतीय समाज का सामयिक प्रतिबिम्ब है। बुनियादी शिक्षा नीति का यह केन्द्र बिन्दु है कि शिक्षा ही सामाजिक क्रान्ति व सामाजिक परिवर्तन का साधन है। गांधी जी ने इस चिन्तन को केवल सैद्धांतिक रूप में ही सामने नहीं रखा, बल्कि अपने जीवन काल में इसका अनुसरण भी किया। गांधी जी वास्तविक रूप में यह जानते थे, कि बिना मानसिक और हृदय परिवर्तन के कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए दक्षिण अपीका और भारत में उन्होंने शिक्षा को इस प्रयोजन का एक ठोस साधन बनाया। वे मात्रा किताबी शिक्षा प्रदान करने वाले और आश्रम ;गुरुकुलद्ध के शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने एक मृत राष्ट्र में प्राण पूफंककर और उसका मानस बदलकर उसे जीवंत कर दिया। लुई पिफशर ने ठीक ही कहा है कि, गांधी जी मात्रा एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, अपितु एक बहुत बड़े शिक्षक व समाज सुधारक भी थे। जैसा कि हम इंगित कर चुके हैं, कि शिक्षा सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है।

गांधी जी ने इस चिन्तन को मात्रा एक सैद्धान्तिक रूप में ही नहीं पेश किया, बल्कि अपने जीवन काल में इसका प्रयोग भी किया। जैसा कि सर्वविदित है कि, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने शिक्षा को व्यापक रूप में अत्याचार और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का एक साधन बनाया और पिफर भारत में इसे स्वतन्त्राता और स्वावलम्बन के साधन के रूप में अपनाया।

गांधी जी के शिक्षा दर्शन के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता यह है कि इसमें सर्वोदय का सबसे अधिक महत्त्व है। उनका सम्पूर्ण जीवन समाज के सभी वर्गों को समान महत्त्व देने और उनके उत्थान पर आधारित था। उनका शिक्षा दर्शन समानता व न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में बुनियादी शिक्षा की ओर ध्यान कम दिया जा रहा है। इस कमी की पूर्ति उद्योग श्रम पर आधारित शिक्षा से ही हो सकती है, क्योंकि उसमें शारीरिक श्रम का महत्त्व अत्यधिक है। सभी प्रकार के कार्यों को समान दृष्टि से देखने के सिद्धान्त को गांधी जी ने प्रतिपादित किया। गांधी जी की शिक्षा में मन, वचन और आचरण का समन्वय है। उसमें व्यक्ति और समाज का समन्वय है। साथ ही उसमें अन्तर एवं बाह्य जगत का एकीकरण है। उसमें धर्म की सच्ची परिभाषा, उत्पादक कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का लगना, प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक और उपभोक्ता बनाना सम्मिलित है।1

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समाहित है, जिसमें विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे यहाँ पर बुनियादी शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक, भौगोलिक, नैतिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के द्वारा बच्चों का चरित्रा निर्माण करना चाहते थे। चरित्रा के निर्माण से अभिप्रायः आत्मज्ञान, ईश्वर में निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह, आत्मनिर्भरता, शरीर श्रम के प्रति निष्ठा, अहिंसा में विश्वास, स्वयं सीखने की क्षमता आदि से है।

आज विश्वीकरण के युग में भले ही वैषम्य के तमाम रूप जीवन के विविध क्षेत्रों में देखने को मिल जायें, लेकिन गांधी जी का ज़ोर पूर्ण समता पर था। उनका मानना था कि श्रम से अपनी रोटी का उपार्जन करना चाहिए। पिफनिक्स पफार्म का गठन वास्तव में श्रम की प्रतिष्ठा पर ही बल देता है। गांधी जी ने कहा कि, हर व्यक्ति को ईमानदारी से परिश्रम किए बिना भोजन करना अपना अपमान समझना चाहिए। यदि हम श्रम–विमुखता का त्याग करें और भाग्य के अप्रत्याशित परिवर्तनों से अभ्यस्त हो जाएं, तब हम निर्भयता की ओर अग्रसर होंगे और इस तरह धीरे–धीरे हम अपने राष्ट्रीय चरित्रा को ऊँचा उठा सकते हैं।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का सामायिक महत्त्व यह है कि इस शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के नागरिकों में एकता व समाज सेवा की भावना बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा द्वारा राष्ट्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इस शिक्षा के द्वारा एक राष्ट्रीय भाषा का विकास किया जा सकता है। जो राष्ट्र के नागरिकों को एकता के सूत्रा में बांधने में सहायता प्रदान कर सकती है। इस शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना को दूर करके, उन्हें राष्ट्र की भलाई की ओर देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की सामयिक महत्त्व यह है कि यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध एक स्वाभाविक समाधान स्वरूप प्रतिक्रिया है। माता–पिता अपने बाल–बालिकाओं को स्कूल एवं शिक्षा संस्थाओं में इसलिए भेजते हैं कि वे व्यस्क होकर उनके काम आयेंगे, परन्तु आज का विद्यार्थी ऐसा नहीं है।

शिक्षा संस्थाओं में जाकर किसान के पुत्रा ने कृषि से नाता तोड़ दिया, कुम्हार के पुत्रा ने घड़ा बनाने व बढ़ई के पुत्रा ने बढ़ई का कार्य छोड़ दिया। जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उपयुक्त रोज़गार नहीं मिलता तो, वे बेकार ही घूमते हैं और इसका जिम्मेवार वे माता–पिता एवं सरकार को ठहराते हैं। इसलिए, गांधी जी ने विद्यार्थियों को पुस्तकीय शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा के ग्रहण करने पर भी बल दिया, क्योंकि इससे उनमें नैतिक भावना, सदाचार व प्रेम की भावना के साथ ही देश के प्रति त्याग एवं देश भक्ति की भावना उत्पन्न होगी।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का सामयिक महत्त्व यह भी है कि इस शिक्षा के द्वारा छात्राों में मस्तिष्क के विकास के साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। मस्तिष्क और हाथों का प्रयोग करके वे ऐसे कार्य को सीखेंगे, जो समाज के लिए हितकर होंगे और जिससे उनके अपने व्यक्तित्व का भी संतुलित विकास होगा। छात्रा स्वयं उत्पादन करके तथा अपने द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं को देखकर प्रसन्न होंगे। इससे उनमें आत्म–निर्भरता, आत्म–विश्वास, उत्तरदायित्व की भावना के साथ–साथ विनयम् और अनुशासन का विकास भी होगा।

गांधी जी की शिक्षा मात्रा एक साध्य नहीं, अपितु एक साधन भी है जो कि उच्च चरित्रा और नैतिक मूल्यों का विकास करती है। मर्यादा, संयम और चरित्रा बल उनकी शिक्षा के परिणाम है। वे केवल छात्रों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, अपितु उनके सर्वांगीण विकास में उनकी रुचि थी।

गांधी जी की शिक्षा का सामयिक महत्त्व यह है कि उनकी शिक्षण विधि में सब कुछ दूसरों से सीखने के स्थान पर स्वयं सीखने की क्षमता से विकास पर अधिक बल दिया। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान के साथ–साथ जीवन के क्रियाकलापों पर आधारित कार्य के माध्यम से शिक्षा देने पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायिक, नैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। उनकी शिक्षा का सामयिक महत्त्व यह है कि यह जीवन की, जीवन के लिए और जीवन द्वारा शिक्षा है, जो कर्म के साथ ज्ञान की साधना है। यह सामुदायिक जीवन से सम्बन्धित है तथा जिसका ध्येय बालकों की रचनात्मक व उत्पादक इच्छाओं को संतुष्ट करना है।

आधुनिक समाज में असंख्य धर्मों और सम्प्रदायों का बोलबाला है, जिनके पूजा–पाठ, विधि और नीतियाँ अलग–अलग हैं। सामान्यतः प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने धर्म को उच्च व दूसरे को हीन समझते हैं। किन्तु गांधी जी ने माना कि सभी धर्मों के भगवान अंततः एक हैं, नाम जुदा–जुदा हैं। आप चाहे इसे गौड, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान कह लें सब एक ही हैं। ये आपस में कभी नहीं झगड़े, क्योंकि वे निराकार सद्गुणों की खान थे, जिन्होंने भूली हुई आत्माओं को अपने सिद्धान्तों के सहारे मार्ग दर्शन दिया। वे धर्म को नैतिकता मानते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिजनों में प्रेम, सहनशीलता, नैतिक चरित्रा का विकास करना है। उन्होंने आगे कहा कि, व्यक्ति का हित, सबके हित में सम्मिलित हो, किसी को किसी भी व्यक्ति के साथ जाति–पाति, ऊँच–नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है और वह है मानव का कल्याण करना, समाज में एकता व बन्धुत्व का भाव पैदा करना।

गांधी जी के विचारों का सामयिक महत्त्व यह भी है कि वे सर्वोदय की अवधारणा के आधार पर गाँवों का विकास चाहते थे और स्वावलम्बन और तालिम शिक्षा इसके केन्द्र बिन्दु थे। उन्होंने सम्पूर्ण समृद्ध ग्रामीणों और शहरियों को अपनी अतिरिक्त भूमि दान करने के लिए आह्वान किया। गांधी जी का मानना था कि इस प्रकार ग्रामदान से समस्त ग्रामीणों के पास भूमि होगी और कोई भी भूमि से वंचित नहीं होगा। वे चाहते थे कि गांव प्रत्येक क्षेत्रा में आत्म निर्भर हों। उनमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं उत्पादन करने की क्षमता हो और इस प्रक्रिया में व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। उनमें जातिवाद व अस्पृश्यता की भावना न हो, बल्कि समानता व बन्धुत्व हो। उनमें स्वयं शासन करने की क्षमता एवं स्वयं आपसी झगड़ों का निपटारा करने की क्षमता हो, तभी सम्पूर्ण ग्रामीण समाज का विकास होगा।

भारतीय समाज में आज भी जाति–व्यवस्था का वर्चस्व है। यह एक जाति के सदस्यों द्वारा अपनी जाति भाइयों के उत्थान उनमें एकता स्थापित करने व उनकी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने में भेद करती हैं। इस भावना के कारण एक जाति के सदस्यों की निष्ठाएँ अपनी जाति के सदस्यों तक ही केन्द्रित हो जाती हैं। उनमें प्रायः अपनी जाति बन्धुओं के प्रति अपनेपन की भावना व अन्य जातियों के प्रति द्वेष की भावना पायी जाती है। जातिवाद भारतीय समाज के हर क्षेत्रा में पाया जाता है। वोटों का डालना हो, नेताओं का चुनाव हो या सरकार का निर्माण हो, यह सब आज स्वतंत्राता के साठ वर्ष बाद भी प्रायः जातिवाद के आधार पर ही तय होता है। इस कारण समाज में अस्पृश्यता व शोषण को बढ़ावा मिला है। 4 गांधी जी ने जातिवाद को समाज की विघटित अवस्था का सूचक माना, जो समाज की वास्तविक प्रगति के लिए बाधक है। वे समान श्रम व व्यवसाय को अपना कर जाति व्यवस्था से जनित समस्याओं का समाधान चाहते थे, क्योंकि यदि सभी जाति के सदस्य किसी भी कार्य को मिलकर एक साथ करेंगे तो उनके अन्दर पफैली ऊँच–नीच की भावना धीरे–धीरे समाप्त हो जाएगी।

ळमारी संस्कृति, 'नार्याःयत्रा पूजयन्ते रमन्ते तत्रा देवता' की उद्घोषणा करती रही है, परन्तु आज भी हमारे समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विशेष रूप से कस्बों और छोटे शहरों में, शोचनीय है। कन्या के पैदा होने से पहले ही, हम वैज्ञानिक संसाधनों का दुरुपयोग करके उसकी हत्या कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, नौकरियों में महिलाओं के दैहिक शोषण, दूरभाष, समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में महिलाओं के अंग–प्रदर्शन व उनके साथ अश्लील बातें एवं अन्य अपराध प्रति दिन हो रहे हैं। इस प्रकार के अपराधों को गांधी जी समाज व राष्ट्र के लिए एक अभिशाप मानते थे। वे शिक्षा द्वारा समाज में एक जागृति उत्पन्न करना चाहते थे, क्योंकि एक ओर शिक्षा द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा तथा उन्हें शोषण व अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत देगी, तो दूसरी ओर पुरुषों में संवेदनशीलता एवं मर्यादित व्यवहार के गुण पैदा भी करेगी। यही चरित्रा–निर्माण महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में न केवल कभी लायेगा, बल्कि राष्ट्र व समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक भी होगा।

आज विश्व के अधिकतर देशों में मशीनीकरण का युग है। मनुष्य आज इतना आलसी और सुविधाभोगी हो गया है कि वह स्वयं कार्य न करके मशीनों द्वारा करता है। एक सिद्धान्त के रूप में गांधी जी मशीनों के बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका मानना था कि हमें मशीनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें हाथ से काम करने का आनंद प्राप्त करना चाहिए। हमें भारी उद्योग नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे बेकारी, असमानता

बढ़ेगी, हड़तालें होंगी तथा समाज में घुणा उत्पन्न होगी।6 आगे उन्होंने कहा कि, यंत्रों ;मशीनोंद्ध का प्रयोग उसी अवस्था में अच्छा होता है, जब किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति अत्यधिक सीमित हों। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में तो लाखों, करोड़ों व्यक्ति बेकार है। ऐसी अवस्था में

यंत्रीकरण से यहाँ की बेकारी और बढ़ेगी। विदेशों में तो घर बैठे व्यक्तियों को 'बेरोज़गारी भत्ता' दिया जाता है, किन्तु भारत जैसे निर्धन देश में इस प्रकार के व्यय से देश का दिवाला ही निकल जायेगा। गांधी जी कुटीर उद्योग के हक में थे। उनका कहना था कि खादी का प्रयोग यदि हम हर घर में करेंगे तो, हर हाथ को काम मिलेगा, जिससे वे अपना निर्वाह अच्छे तरीके सकेंगे। साथ ही गांधी जी यह भी मानते थे, कि भारत के आर्थिक संयोजन में कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों को भी स्थान देना होगा, परन्तु इस प्रकार के उद्योगों की मालिकी राज्य की हो, व्यक्तियों की नहीं।

यूरोपीय शोषण ;शासनद्ध से स्वतंत्रा होने के पश्चात् अनीका एवं एशियाई देशों में आधुनिकीकरण एवं विकास एक प्रभावी सिद्धान्त के रूप में उभरा है। इन नए राज्यों ने तेज़ी से आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए पश्चिमी देशों के विकास के मॉडल की नीति एवं कार्यक्रम को अपनाया। भारत मे भी केन्द्रीय योजना एवं सार्वजनिक क्षेत्रा के अधीन बड़े उद्योगों, पानी, बिजली, बांध, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के लिए आधुनिक आर्थिक आधारभूत संरचना ;डवकमतद म्बवदवउपब प्दतिंजतनबजनतमद्ध के निर्माण पर बल दिया गया। निवेश के लिए बचत एवं अन्य संसाधन इकट्ठा करने के लिए बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण भी किया गया।

इन सबके बाद भी देश की आर्थिक समस्याएं दुर्लभ्य बनी रहीं। खाद्यान का उत्पादन हरित क्रान्ति की सपफलता के कारण बढ़ा, लेकिन आज भी खेती मानसून की अनिर्शितता पर आधारित है। गाँवों में बेरोज़गारी और गरीबी बड़े पैमाने पर मौजूद है। औद्योगिक विकास व्यापक बेरोज़गारी की समस्या को हल करने एवं निर्यात क्षमता को बढ़ाने में असपफल सा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रा मे अधिकांश उद्योग निम्न उत्पादकता से ग्रस्त हो रहे हैं। बिजली उत्पादन एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाएँ आज भी अपने लक्ष्य से कापफी दूर हैं। औद्योगिक रूप से विकसित देश तेज़ी, मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्पफीति, मंदता आदि में घिरे रहते हैं। इस विषय में गाँधी जी का मानना है कि पश्चिमी देशों का संकट आर्थिक दुर्भाग्य की अपेक्षा कुछ और ही गहरे रूप में है। यदि विकास की दर हम प्राप्त कर लेंगे, तो भी अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएँ बनी रहेंगी, जैसे कि पर्यावरण संकट, गरीब राष्ट्र का शोषण, युद्ध की संभावना का विस्तार, समाज में आर्थिक कार्यों का अभाव, शान्तिहीनता, सामाजिक विघटन, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक संकट आदि। उन्होंने स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज को नैतिक उत्थान के रूप में माना है। उन्होंने स्वावलम्बी शिक्षा पर ज़ोर दिया, जिसके आधार पर व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपना नैतिक विकास कर सकता है।

वर्तमान विश्व के राष्ट्रों में आणविक शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। प्रत्येक राष्ट्र विश्व में शक्तिशाली बनने के लिए शस्त्रों व आणविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। शास्त्रों की होड़ ने विश्व में शांति की व्यवस्था को भंग कर दिया है। अगर विश्व में एक बार युद्ध छिड़ जाये और इन हथियारों का प्रयोग किया जाए तो, पृथ्वी से मानवता का विनाश निश्चित है। इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य संगठन बनाये गये हैं, परन्तु वे भी इसको सीमित करने में असहाय हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के राष्ट्रों को गाँधी जी द्वारा बताये गए सत्य, अंहिसा, सत्यमार्ग, सहनशीलता, समानता व मित्राता के भाव पैदा करने चाहिए। राष्ट्रों को आपसी झगड़ों का समाधान प्रेमपूर्वक बातचीत द्वारा हल कर लेना चाहिए। यदि सभी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति हिंसा को छोड़कर अंहिसा का मार्ग अपना कर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' आदर्श नीति को मान लें, तो विश्व में शान्ति, समानता व बन्धुत्व की भावना उत्पन्न होगी।

गाँधी जी ने कहा कि, जहाँ केन्द्रीयकरण है, वहाँ हिंसा हैं, जहाँ हिंसा है, वहाँ स्वतंत्राता नहीं रह सकती और स्वतंत्राता के अभाव में तो मनुष्य का जीवन पशु से भी बदत्तर है। आज एक छोटे से वर्ग ने राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है और समाज कहीं नज़र नहीं आता। राज्य मनुष्यों का सर्वांगीण विकास कर नहीं सकता, क्योंकि राज्य केन्द्रीयकरण का प्रतीक है। केन्द्रीयकरण का अंहिसा से तालमेल नहीं बैठता। गाँधी जी का मानना है कि सभी व्यवस्थाओं और संस्थाओं का औचित्य तो तभी है, जब उनका आधार नैतिक हो। वे साधन और साध्य के बीच तालमेल पर ज़ोर देते थे। वे विशेषाधिकार और एकाधिकार के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि ऐसे अधिकार जिन्हें जनता के साथ नहीं बांटा जा सके, वह त्याज्य है।10

आज के तकनीकी युग में विश्व के अधिकांश देशों में भयानक गरीबी और बेकारी पफैली हुई है। अधिकांश जनसंख्या झुग्गी, झोंपड़ियों या पफुटपाथों पर रहती है। उनके पास खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ये ऐसे गन्दे स्थानों पर रहते हैं कि जहाँ बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। गाँधी जी इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि इस स्थिति के लिए हमारी अपनी उपेक्षा और अज्ञान ही ज़िम्मेदार है। शरीर श्रम करने में जो गौरव है, उसे हम नहीं करते। उदाहरण के लिए, मोची जूते बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं करता, वह ऐसा समझता है कि दूसरे काम उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। यह गलत ख्याल दूर होना चाहिए। ईश्वर ने हर एक को काम करने की और अपनी रोज की रोटी से ज़्यादा कमाने की क्षमता दी है व जो भी इस क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हो, उसे काम अवश्य मिल जाता है। यदि सभी व्यक्ति ईमानदारी के साथ परिश्रम करेंगे, तो वह बेकार नहीं रहेंगे। इससे वह अपना तथा परिवार का जीवन निर्वाह अच्छे ढंग से चला सकेंगे। इस प्रकार की भावना यदि सभी मनुष्यों में होगी, तो समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा।

धर्म का हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिक दृष्टि से शान्ति स्थापित करने का यह सशक्त माध्यम है। सभी धर्म मानव हित की बात करते हैं। इसमें द्वेष का कहीं स्थान नहीं है। यह कहा भी गया है कि, 'मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना', परन्तु असामाजिक तत्त्वों द्वारा स्वहित के लिए इसके आधर पर मतभेद पैदा कर दिए गये। राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए मन्दिर–मस्जिद जैसे विवाद खड़े कर दिए हैं। धर्म के नाम पर समाज को बांट दिया है, जिसके कारण देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है। गाँधी जी ने राजनीति को धर्म माना है। उनका विश्वास था कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों साथ–साथ चलते हैं,

लेकिन जो धर्म को राजनीति से दूर करते हैं, वह राजनीति को नहीं जानते। अर्थात् राजनीति भी धर्म की तरह है, जो स्वार्थ रहित भाव से दूर रहकर देश व समाज हित के लिए कार्य करे। आगे उन्होंने कहा कि, धर्म और राजनीति में आत्मा और शरीर का संबंध है। धर्म से अलग राजनीति, राजनीति नहीं बल्कि पफांसी का पफंदा है, क्योंकि उससे आत्मा का हनन होता है। धर्म का अर्थ किसी मठ या सम्प्रदाय या पूजा विधि मात्रा नहीं है। धर्म श्रेष्ठ व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के व्यवहार का नाम है। यह श्रेष्ठ गुणों की अभिव्यक्ति है। धर्म कर्त्तव्य का बोध कराता है। ऐसी कर्त्तव्यहीनता राजनीति सदा अकल्याणकारी ही होगी। वह सार्वजनिक हित में योगदान नहीं कर पाएगी।

आज की भयानक बढ़ रही बेरोज़गारी ने युवक–युवतियों में आक्रोश एवं निराशा का भाव पैदा कर दिया। वे सही दिशा के अभाव में नशे आदि के शिकार हो रहे हैं। वे राजनीति के दुष्चक्र में उलझकर अपनी रचनात्मक शक्ति को खो रहे हैं। शिक्षा केन्द्र भी पूरी तरह से राजनीति द्वन्द्व का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। आज की नई पीढ़ी किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अनुशासन में उभरती पौध नहीं है, बल्कि स्वच्छंदता की पराकाष्ठा और कृत्रिम आदर्शों की अंधी दौड़ में शामिल कॉलेज या विश्वविद्यालय की भीड़ है। उन्होंने अनुशासन, सहनशीलता व नैतिकता के मूल्यों को त्याग दिया है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भुला दिया है। उनके आदर्श टी॰वी॰, पिफल्मों के सतरंगी चित्रों से अवतरित होते हैं, जो हिंसा, पफैशनपरस्ती एवं पफूहड़ता को प्रेरणा देते हैं। अतः युवाओं को इस सतरंगी दुनिया से निकलकर और गाँधी जी के सत्य, अंहिसा, सहनशीलता, नैतिकता व स्वावलम्बन के भाव के आधारों पर चलकर देश व समाज के विकास के लिए कार्य करना चाहिए।

युवाओं को गलत रास्तों पर न चलकर, अच्छी नीतियों को अपनाकर देश की सेवा करनी चाहिए। गाँधी जी ने 'नवजीवन' में कहा कि, फ्मैं तो एक सत्य शोधक हूँ, अपने देश में जो सेवा कर रहा हूँ वह मेरी साधना का एक अंग है, जिसके द्वारा मैं इस पंच–भौतिक शरीर से आत्मा की मुक्ति की कामना और उसके द्वारा मनुष्य जाति की सेवा करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता हूँ, मैं संसार के भूतमात्रा भूतकाल से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहता हूँ, मैं 'सम शत्रों च मित्रो च' हो जाना चाहता हूँ। अतः युवाओं को गाँधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने भविष्य व देश हित के विषय में सोचना चाहिए।

आज देश में सरकार उदारीकरण की आर्थिक नीति को अपनाए हुए है। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूंजी निवेश कर रही हैं, जिसके कारण देश आर्थिक रूप से दोबारा गुलाम बन रहा है। साथ ही एक बार पिफर देश के उद्योग धन्धें को खतरा पैदा हो गया है। इन्हें संरक्षण की जरूरत है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि देश के विकास के लिए यदि विदेशी यहाँ पूंजी निवेश करेंगे, तो भारत के लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। परन्तु इनसे अधिकतर लोगों को रोजगार प्राप्त होने की बजाये बेकारी, लाचारी, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा तथा उनके अन्दर सरकार के प्रति घृणा पैदा होगी। गांधी जी का विदेशी व्यापार के विषय में मानना था कि, यदि भारत के बाहर से व्यापार की एक भी वस्तु न आई होती, तो आज यह देश दूध और शहद से भरपूर होता। यह देश अपने आप बिना किसी दूसरे की सहायता से रह सकता है, यदि यह केवल अपनी सीमा के अन्दर अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु उत्पन्न करे और इसको इस प्रकार के उत्पादन में सहायता मिले। वे स्वराज्य और स्वदेशी शिक्षा को मानते थे। उनका कहना है कि, फ्स्वदेशी हमारे अन्दर की वह भावना है जो हम पर यह प्रतिबंध लगाती है कि हम अपेक्षाकृत अध्कि दूर के वातावरण को छोड़कर पास के वातावरण का प्रयोग करें और उसकी सेवा करें। वे न मशीन के विरोधी थे, न विज्ञान के, पर मनुष्य को निकम्मा या व्यथ्र बना दे, ऐसी यंत्रिकता वे नहीं चाहते थे।

आज देश की राजनीति में असंख्य दलों तथा भ्रष्ट, घूसखोर, हिंसावादी नेताओं के आ जाने से शासन में उथल–पुथल पैदा हो गयी है। इसके कारण देश में एक स्थाई सरकार शासन करने में असमर्थ है। जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्रा आदि के नाम पर सभी राजनीतिक दल वोटों ;सत्ताद्ध को प्राप्त कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश मे आतंकवाद, हिंसा व साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है और मन्दिर–मस्जिद, आरक्षण व क्षेत्रीकरण जैसे मुद्दे पैदा हो गए हैं। आज देश की राजनीति, राजनीति न रहकर एक युद्ध का अखाड़ा बन गयी है, जिसमें जो भ्रष्ट व भड़कालू भाषण देने वाला ही सत्ता को प्राप्त कर रहा है। गाँधी जी इस प्रकार की राजनीति नहीं चाहते थे। वे तो राजनीति को धर्म मानते थे। उनका मानना था कि राजनीति तो धर्म की भान्ति पवित्रा है, जो देश हित के विकास के लिए आवश्यक है। जो नेता राजनीति के अर्थ को समझ नहीं सके, वे सही मायने में नेता न होकर स्वार्थी हैं। अतः सभी नेताओं को गाँधी जी की तरह राजनीति की पवित्राता को समझकर और स्वार्थ हित से दूर निकलकर देश हित के विषय में सोचना चाहिए।

सरकार ने आज 'रोज़गार गारंटी अधिनियम' बनाकर हमें निश्चित रूप से सभ्य देशों की जमात में खड़ा कर दिया है। लेकिन आज भी शारीरिक श्रम की वैसी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं हो सकी, जैसी गांधी जी की इच्छा थी। प्रत्येक राज्य में मजदूरी की दरों में अभी भी अंतर है। मामूली से रुपये के इस अंतर का लाभ उठाने के लिए कितने ही मजदूर अपनी पुश्तैनी भूमि को छोड़कर उन राज्यों की ओर जाते हैं, जहाँ यह मजदूरी थोड़ी ज्यादा मिलती है। इस प्रक्रिया में उन्हें तमाम खतरे उठाने पड़ते हैं तथा बड़े–बड़े शहरों मे उनके लिए किसी भी प्रकार की आवासीय व्यवस्था न होने के कारण झुग्गियों और झोंपड़ियों में रहना पड़ता है। बिजली और पानी जैसी चीजें तो उन्हें परेशान करती ही रहती है। समय–समय पर बनाए गए कानून भी उनकी कोई हिपफाजत नहीं कर पाते। कभी–कभी तो क्षेत्रीयतावाद जैसी प्रवृत्तियों के चलते भी कई गंभीर संकट खड़े हो जाते हैं। एक तरपफ हम भूमण्डलीकरण का राग अलाप कर ग्लोबल विलेज में विश्व नागरिक बनने का दावा करते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की ओछी हरकतों को अंजाम देते हैं जो कि मानव हित के लिए उचित नहीं। अतः केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों के लिए एक समान मजदूरी आय कानून बनाना चाहिए। जिससे मजदूरों का पलायन रुक सके। गांधी जी औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण के द्वारा व्यक्तियों का विकास चाहते थे। क्योंकि ऐसा करने से सभी को काम मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय विकास के क्षेत्रा में उन्नति होगी।

वर्तमान संदर्भ में गांधी जी की विचारधारा और आर्थिक विकास प्रासंगिक है। उनके विचारों की उपयोगिकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्रा में स्पष्ट दिखाई देती है। विशेष रूप से ग्राम और लघु व कुटीर उद्योग, विकेन्द्रीयकरण, आर्थिक असमानता, औद्योगिक नीति, ग्रामीण विकास, खादी ग्रामोद्योग, न्यास सिद्धान्त आदि ऐसे कार्यक्रम थे, जो आज के बदलते परिवेश में आर्थिक विकास की दृष्टि से उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनका विश्वास

था कि ये कार्यक्रम भारतीय समाज के विकासोन्मुख प्रगति के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे।

अतः गाँधी जी के विचारों की मान्यता यह है कि, सभी छोटे–बड़े राज्य समान हैं और एक का दूसरे द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। सारी मानव जाति में आध्यात्मिक एकता हो। अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है कि सभी राष्ट्र स्वतंत्रा हो, कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करे व आपसी झगड़ों को शान्ति पूर्ण ढंग से सुलझाए। ऐसा करने से विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है। जो कि मानव की रक्षा एवं सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है। वे शस्त्रों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि विश्व के सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय भावना के साथ–साथ विश्व प्रेम अथवा अन्तर्राष्ट्रीय भावना आवश्यक है, ताकि विश्व में शान्ति स्थापित हो सके, क्योंकि विश्व का कल्याण ही मानवता का कल्याण है।

संदर्भ सूची :

1. हनुमान प्रसाद, वर्तमान शिक्षा दर्शन, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1957, पृ. 135
2. हरिजन, 27 पफरवरी, 1937
3. रविन्द्र अग्निहोत्री, आधुनिक भारतीय शिक्षा–समस्या और समाधन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1987, पृ. 71
4. दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 2 पफरवरी 2003
5. हिन्दुस्तान टाईम्स, 15 मार्च, 2004
6. एम॰ के॰ गांधी, मेरे सपनों का भारत, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1980, पृ. 29
7. पूर्वोक्त, पृ. 35
8. स्पीचेज, पृ. 278
9. राजश्री, गांधी विचार और सामाजिक पुनर्रचना, आर्य पब्लिकेशन, कानपुर, 1985, पृ. 77
10. राजश्री, गांधी विचार और सामाजिक पुनर्रचना, आर्य पब्लिकेशन, कानपुर, 1985, पृ. 70
11. गांधि, नवजीवन, 6 अप्रैल 1924
12. इण्डिया टूडे, अक्तबूर, 2004